आज दिनांक 8/5/18 को ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम बसईनबाब)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना आर० ए० एस०

प्रकरण संख्या–44/2017

प्रेमवती पुत्री स्व० बीधा पत्नी रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम वसईनबाब तहसील सैपऊ हाल निवासी ग्राम ककुआ तहसील व जिला आगरा उत्तरप्रदेश

————वादिया

बनाम

1–रामवाई पत्नी स्व० राजपाल
2–बंटी पुत्र स्व० राजपाल
3–गिरिजा पुत्री स्व० राजपाल
4–रामकुमार पुत्र स्व० राजपाल
5–रामसेवक पुत्र स्व० राजपाल
समस्त जातिगण जाटव निवासी बसईनबाब तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
6–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ

————प्रतिवादीगण

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव
स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–
1–श्रीमती प्रेमवती (वादी)
2–रामबाई बगैरा (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक :10.05.2018

वादिया की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 7135/2901 वाके ग्राम बसईनबाब ए तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 18.01.2018 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा बसईनबाब कैम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। पक्षकार उपस्थित । प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का वादिया एंव प्रतिवादीगण को अवलोकन कराया । उपस्थित पक्षकारों ने प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन आदेशानुसार ही तैयार कर भिजवाये है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादिया मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम बसईनबाब ए तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1–रामवाई पत्नी राजपाल, बंटी वालिग, रामकुमार , रामसेवक, नावालिग पुत्रान व गिरिजा वालिग, मंजू नावालिग पुत्रीयान राजपाल नावालिग सरपरस्ती माता खुद रामवाई हिस्सा बराबर जाति जाटव निवासी ग्राम बसईनबाब तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	7135/2901/1	0.13
योग	1	0.13

2–प्रेमवती पुत्री बीधा पत्नी रामहेत जाति जाटव निवासी ग्राम बसईनबाब हाल निवासी ग्राम ककुआ तहसील व जिला आगरा

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	7135/2901/2	0.12
योग	1	0.12

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
बसईनबाब